न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2326–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–5–2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, परगना चाचौड़ा जिला गुना प्रकरण कमांक 01/अ–13/15–16.

1– गुलाब बाई पत्नी नन्दराम
2– नन्दराम पुत्र देवलाल
3– चैनसिंह पुत्र नन्दराम
4– बनवारी पुत्र नन्दराम
5– गोविन्द पुत्र नन्दराम
6– गोविन्द पुत्र स्व. छोटेलाल
निवासी कस्बा चचौडा नारायणपेट
मोहल्ला चचौडा गुना
7– छोटया पुत्र पहलवान
आवेदक कमांक 6 को छोड़कर समस्त निवासीगण
ग्राम मुहासाकलां तहसील चाचौडा जिला गुना
8– कमलाबाई पत्नी कमलेश पुत्री दौजीराम
9– भरपीबाई पत्नी गोपाल पुत्री देवीलाल
10– रममबाई पत्नी हेमराम पुत्री देवीलाल
11– गीताबाई पत्नी रामप्रसाद पुत्री नाथूलाल
12– पानबाई पत्नी मिश्रीलाल पुत्री नाथूलाल
निवासीगण ग्राम मुहासाकलां
तहसील चाचौडा जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मूलचन्द्र पुत्र छीतर
2– रामप्रसाद पुत्र छीतर
3– पांचीबाई पुत्री छीतर
निवासीगण ग्राम मुहासाकलां
तहसील चाचौडा जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री लखनसिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/4/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, परगना चाचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, चाचौडा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत रास्ता खुलवाये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–13/15–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 13–5–2016 को आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की गई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत रास्ता नहीं होकर आवेदकगण की भूमि में से है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण रूढ़िगत रास्ते का उपयोग नहीं कर आवेदकगण की भूमि में से नया रास्ता चाहते हैं । इसी आशय की आपत्ति आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा पुनः उनकी उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किये जाने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर कार्यवाही की जा रही है, परन्तु आवेदकगण तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से आपत्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस न्यायालय में भी इसी उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की गई है, परन्तु निरस्त करने का कारण अपने आदेश में उल्लिखित नहीं किया जाकर केवल यह उल्लेख किया गया है कि उभय पक्ष के तर्क श्रवण उपरांत निराधार होने से आपत्ति निरस्त की जाती है । स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा बोलता हुआ सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, परगना चाचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के सम्बन्ध में बोलता हुआ सकारण आदेश पारित किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर